Gen. No. 13

अपील रसद संख्या 160/2015(RCMS No. : 2015/00091) मैसर्स मै. वर्मा ऑयल कम्पनी जरिये प्रोत्र श्री चिमन लाल पुत्र कौर चंद अग्रवाल उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत 3 आरपीए, तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर 2. जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>03.02.2020</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी मैसर्स वर्मा ऑयल कम्पनी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत उपस्थित नहीं हुए एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री संदीप गौड़ उपस्थित हुए।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 09/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2014 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की थी। जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2015 से अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था। इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध प्रार्थी मै. वर्मा ऑयल कम्पनी –प्रो. चिमन लाल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। जो खाद्य आयुक्त के ओदश दिनांक 21.09.2015 से प्रार्थी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमांड किया गया है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण निस्तारित करें।

अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अपील पत्र में यह प्रार्थना की है कि उसकी अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 09/2011 अनवान सरकार बनाम मैसर्स वर्मा ऑयल कम्पनी निर्णय दिनांक 16.01.2014 को निरस्त किया जावे एवं उसका लाईसेंस बहाल किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाने पर भी वे उपस्थित नहीं हुए है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उक्त अपील को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय उनका रिकार्ड जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर